पीएम मोदी ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 23 मार्च. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि दी और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी शहादत को एक निर्णायक पल के रूप में याद किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज, हम भारत माता के वीर सपूतों - भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव - के सामने श्रद्धा से नतमस्तक हैं।

राष्ट्र के लिए उनकी शहादत हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित है। श्री मोदी ने कहा कि इन तीनों का बलिदान आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है. उन्होंने कहा, कम उम्र में ही उनके साहस और समर्पण को रेखांकित करते हुए में ही उन्होंने असाधारण साहस और भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया. औपनिवेशिक शासन की ताकत से बिना डरे, उन्होंने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ बलिदान का मार्ग चुना, और राष्ट्र को अपने जीवन से भी ऊपर रखा.

उन्होंने उनके आदर्शों की चिरस्थायी प्रासंगिकता पर भी जोर दिया. उन्होंने आगे कहा कि न्याय, देशभक्ति और निडर प्रतिरोध के उनके आदर्श आज भी अनगिनत भारतीयों के मन में जोश भरते हैं. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे सम्मानित क्रांतिकारियों में से हैं। ब्रिटिश अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या में उनकी भूमिका के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 23 मार्च, 1931 को उन्हें फांसी दे दी

मोदी ने डॉ. लोहिया की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में याद किया. श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और और 1947 के बाद भारत की प्रगति में भी योगदान दिया।

बलिदानियों का त्याग भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय : योगी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिदान दिवस के अवसर पर महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अमर बलिदानियों का त्याग भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने उनके साहस, समर्पण और राष्ट्रप्रेम को प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत बताया.

पूर्व सीएम केजरीवाल ने वीरों को किया नमन

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को किया याद

नई दिल्ली, 23 मार्च। शहीद दिवस के अवसर पर देशभर में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस मौके पर अरविन्द केजरीवाल ने भी अमर शहीदों को याद करते हुए भावपूर्ण संदेश साझा किया।

उन्होंने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि इन वीर सपूतों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि इन महान

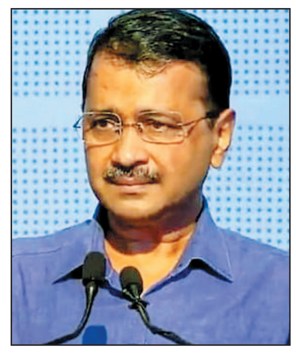

क्रांतिकारियों का साहस, देशभक्ति और समर्पण आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का भारत बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, जब इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।

केजरीवाल ने कहा कि इन वीर सपूतों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनका बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों के सपनों का भारत बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 23 मार्च का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन 1931 में इन तीनों क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और युवाओं में आजादी के लिए जोश भर दिया।

भाजपा, पीएमके और एएमएमके ने अन्नाद्रमुक के साथ सीट बंटवारे का किया समझौता

चेन्नई, 23 मार्च। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), डॉ. अंबुमणि के नेतृत्व वाले वन्नियार-ओबीसी बहुल पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) गुट और टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाले एएमएमके ने सोमवार को अन्नाद्रमुक के साथ सीट बंटवारे का समझौता किया।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

यह समझौता भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में हुआ। श्री पीयूष तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी भी हैं। समझौते के अनुसार, भाजपा को 27 सीटें आवंटित की गईं, जो 2021 के चुनावों में लड़ी गई सीटों से सात अधिक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद निर्वाचित अंबुमणि को 18 सीटें आवंटित की गईं और श्री दिनाकरन, जिन्हें कुछ महीने पहले राजग छोड़ने के बाद फिर से शामिल किया गया था उनकी पार्टी को 11 सीटें आवंटित की गईं। राजग के तीन मुख्य सहयोगी दलों को सीटों के आवंटन की घोषणा श्री गोयल, अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी (जो गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं), पीएमके, एएमएमके और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने की। सीट बंटवारे के समझौते पर श्री गोयल और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने शहर स्थित अन्नाद्रमुक पार्टी कार्यालय में हुई अंतिम दौर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए। रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा ने 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन वार्ता के दौरान वह 27 सीटों पर सहमत हो गई।

चुनाव में दलों को ईसी ने दिए फ्री एयरटाइम वाउचर

नई दिल्ली, 23 मार्च. चुनाव आयोग ने असम, केरल सहित चार राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विधान सभा चुनाव के दौरान वहां चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नि:शुल्क प्रसारण-समय के लिए डिजिटल वाउचर आवंटित किए हैं. आयोग ने सोमवार को कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 ए के तहत असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रसारण और टेलीकास्ट समय आवंटित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश के अनुसार आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को विधान सभा चुनावों हेतु डिजिटल समय वाउचर जारी किए गए हैं. इन चुनावों में इन सरकारी प्रसारण संस्थानों पर प्रसार की अवधि प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने की तिथि से लेकर मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक निर्धारित की जाएगी.

चुनाव ड्यूटी से पहले जवानों को भाषा प्रशिक्षण

कोलकाता, 23 मार्च। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में जिला प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात केंद्रीय बलों के जवानों को बंगाली भाषा का बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है

▸ गलतफहमी रोकने और विश्वास बढ़ाने की कोशिश

ताकि आम लोगों के साथ संवाद में कठिनाई से बचा जा सके। प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य गलतफहमी को रोकना और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाना है। यह कदम जनसंपर्क को मजबूत करने और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

असम चुनाव में जेएमएम की एंट्री

गुवाहाटी, 23 मार्च। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने भी चुनावी मैदान में उतरते हुए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी का यह कदम राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है।

एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफवाहें, सरकार ने किया साफ इनकार

नई दिल्ली, 23 मार्च। देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाकर 10 किलोग्राम की जा सकती है। हालांकि सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह भ्रामक बताया। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है और लोगों से अपील की गई है कि वे इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। यह भ्रम उस समय फैला जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित बाधाओं के कारण तेल और गैस सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में वैश्विक परिस्थितियों का असर घरेलू बाजार पर पड़ना स्वाभाविक है। फिर भी सरकार ने आश्वस्त किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले सिलेंडर की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की मात्रा को लेकर देशभर में चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने साफ कर दिया है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि सरकार गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिलेंडर में गैस की मात्रा घटाकर 10 किलोग्राम करने पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह गलत बताया है।

शाह ने गुरु हरगोबिंद साहिब को किया याद

नई दिल्ली, 23 मार्च. सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब के ज्योति-ज्योत दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में शाह ने गुरु साहिब के कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया. इस अवसर पर उन्होंने गुरु साहिब के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाजापुर शाखाः ए.बी. रोड, शाजापुर (म.प्र.) 462001 फोन : 07364-229666,

मांग सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम , 2002 के रूल 3 (1) के अंतर्गत नोटिस।

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम , 2002 के रूल 3 (1) के अंतर्गत बैंक द्वारा आप पर बकाया धन जमा करने हेतु निम्नवर्णित दिनांक को मांग नोटिस को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया था। उक्त नोटिस के द्वारा आप को बैंक द्वारा बकाया निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज आपके द्वारा नोटिस प्राप्ति के 60 दिन के अंदर जमा किया जाना है, जो कि हमारे बैंक में वापस आ गयी है। जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न हो जाता है कि आप उस डिमांड नोटिस को प्राप्त करने से बच रहे है। अतः अब इस नोटिस के प्रकाशन के द्वारा आपको एतद् द्वारा बैंक बकाया धनराशि को चुकाने हेतु नोटिस दिया जाता है, कि बैंक को देय निम्नवर्णित ऋण राशि इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर हमारी बैंक में जमा कर दें । इस खाते से सम्बन्धित विवरण नीचे उल्लिखित है उक्त ऋण राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूतिहित परवर्तन नियम 2002 के अंतर्गत किसी अथवा सभी अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। नोटिस का विवरण निम्नानुसार हैः-

उधारकर्ता एवं जमानतदार का नाम	प्रतिभूति के रूप में बंधक की गई संपत्ति का विवरण	बकाया राशि / मांग सूचना दिनांक
ऋणी- **मुकेश कुमार श्री भंवरलाल मालवीय** ग्राम मगरिया वार्ड नं. 25, मुलीखेड़ा रोड, शाजापुर-455001	**बंधक संपत्ति स्थित क्र.सं. 196 मिन, 200 मिन, 201/1/2/3 मिन, 291 मिन, 292 मिन, 293 मिन, 294 मिन, 296 मिन, 303 मिन रकबा 0.0075 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल-800 वर्गफुट या 74.34 वर्गमीटर, वार्ड नंबर 25, मुलीखेड़ा रोड, शाजापुर संपत्ति मालिक- श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री भंवर मालवीय चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः राधेलाल पाटीदार का प्लॉट, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, उत्तरः 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिणः कमलेश कुशवाह का घर एवं प्लॉट	दि. 07.12.2025 को बकाया राशि (दि. 07.09.25 तक ब्याज समाहित) ₹ 10,14,311/- +अप्रभारित ब्याज एवं खर्चे **12.02.2026** **NPA Date-07.12.2025**

इस नोटिस के द्वारा जन सामान्य को यह सूचित किया जाता है कि वे उक्त सम्पत्ति के समबन्ध में किसी प्रकार का समझोता / व्यवहार न करें एवम बन्धककर्ता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (13) के नियमानुसार आप बैंक के पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रतिभूतिकृत सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकते।

स्थान : शाजापुर, दिनांक : 24-03-2026 **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्ति बाबत्)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से मांग सूचना की दिनांक से **60** दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणगृहिताओं एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक को सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार)के अधीन होगा ।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणियों/जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दिनांक / धारण दिनांक	अचल संपत्तियों का विवरण	₹ बकाया राशि
1	स्कीम नं. 78 शाखा, इन्दौर	श्रीमती नेहा शर्मा पति श्री अजय शर्मा (अभी मृत) उनके कानूनी उत्तराधिकारी, जिन्हें बैंक नहीं जानता है	**17.12.25** **19.03.26**	मकान नं. 63, वार्ड नं. 8 डीलक्स, एमआईजी त्रिलोक नगर, तहसील देवास एवं जिला देवास पर स्थित रहवासी मकान/फ्लेट/व्यवसायिक प्लाट/भूमि/दुकान का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 1080 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती नेहा शर्मा,** रजिस्टर्ड सेल डीड नं. MP108942024A1254980 दिनांक 28.02.2024 सब/ज्वाईंट रजिस्ट्रार देवास के पास रजिस्टर्ड, **चर्तु:सीमा: पूर्व:** एमआईजी सुपर 64, **पश्चिम:** एमआईजी सुपर 62, **उत्तर:** एमआईजी सुपर 53, **दक्षिण:** कॉलोनी की सड़क	**24,96,430.00** + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 24.03.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था हैं पीएम मोदी

नई दिल्ली, 23 मार्च। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8,931 दिनों के सार्वजनिक कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उनकी जमकर सराहना की। श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था हैं।

श्री चौहान ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के मुखिया रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इतने लंबे कार्यकाल को कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है, क्योंकि श्री मोदी अपने आप में एक संस्था हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिन-रात मेहनत कर देश सेवा का उदाहरण पेश किया है। उनका समर्पण और कार्यशैली हर किसी के लिए प्रेरणा है। जब प्रधानमंत्री मोदी की माता का निधन हुआ, तब भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के बाद वह तुरंत अपने तय कार्यक्रम में शामिल हुए, जो उनके कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को दर्शाता है।

श्री चौहान ने कहा कि देश ने 2011 से 2013 के बीच के वह दिन भी देखे हैं, जब चारों ओर भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा होती थी। उस समय जनता निराश थी, लेकिन श्री मोदी आशा और विश्वास के प्रतीक बनकर सामने आए। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उनका यह लंबा सार्वजनिक जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का प्रतीक है।

खरात मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा : फडणवीस

मुंबई, 23 मार्च। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि अशोक खरात मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। श्री फडणवीस ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी अशोक खरात ने कथित तौर पर अलौकिक शक्तियों के दावों का दुरुपयोग करके कई महिलाओं का शोषण किया और उनके खिलाफ गंभीर अपराध किए। उन्होंने जोर दिया कि आरोपों की प्रकृति इस मामले को बेहद चिंताजनक बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पिछले कुछ समय से इस मामले पर काम कर रही थी और जांच के हिस्से के रूप में एक रणनीतिक जाल बिछाया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि आरोपी को देश छोड़ने से रोकने के लिए एक अन्य जिले में दर्ज शिकायत के आधार पर 10 मार्च को ही लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशील प्रकृति के कारण कई पीड़ित शुरुआत में सामने आने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन पुलिस के सहयोग से उनका आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके बाद औपचारिक शिकायतें दर्ज की गईं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	89315467	होम लोन	11.03.2026	2,04,927.75/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. फुल सिंह 2. विष्णु कुंवर

संपत्ति का पताः मकान संख्या 17/5, मकान नंबर 27, कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट (लंबाई 60 फुट और चौड़ाई 20 फुट) वाली संपत्ति, जो पीएच नं. 50, आबादी भूमि सर्वेक्षण संख्या 45, गांव थाडोड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश- 457226 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में गजराज सिंह का मकान, पश्चिम में विक्रम सिंह का मकान, उत्तर में घनश्याम सिंह की जमीन और दक्षिण में सड़क।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	82547175	संपत्ति के बदले ऋण	14.03.2026	5,15,564.31/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. रुघनाथ गायरी 2. शारदा बाई गायरी

संपत्ति का पताः ग्राम पंचायत संपत्ति कर रजिस्टर में मकान संख्या 65 के रूप में दर्ज आवासीय भूखंड संख्या 06, आबादी सर्वेक्षण संख्या 45, ग्राम थाडोडा, पीएच नं. 50, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश- 457226 में स्थित, सह-स्वामित्व विलेख के अनुसार मापः चौड़ाईः पूर्व से पश्चिम 21 फीट, लंबाईः उत्तर से दक्षिण 66 फीट, कुल क्षेत्रफल 1386 वर्ग फीट (128.75 वर्ग मीटर में से), भूतल का निर्मित क्षेत्र 931 वर्ग फीट। या 86.48 वर्ग मीटर और भूतल पर टिन की चादरों से निर्मित क्षेत्र 455 वर्ग फुट या 42.27 वर्ग मीटर है, और इसकी सीमाएँ सह-स्वामित्व विलेख के अनुसार चार दिशाओं में हैंः पूर्वः रामा नग्गा जी का घर, पश्चिमः गजराज पन्नालाल का घर, उत्तरः आबादी की भूमि, दक्षिणः सामान्य सड़क।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	141776036	होम लोन	11.03.2026	2,78,808.36/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. समरथ बागरी 2. बालू सिंह बागरी

संपत्ति का पताः मकान क्रमांक 35/1 का वह पूरा टुकड़ा और भूखंड, कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 30 फुट), सर्वेक्षण क्रमांक 114/3, पीएच नं. 59, ग्रामः लालखेड़ा, तहसीलः जावरा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457226 में स्थित है और पट्टा प्रमाण पत्र के अनुसार इसकी चार सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः रुघनाथ पुत्र चंपालल, पश्चिमः रास्ता गली, उत्तरः सम्राट, दक्षिणः प्रकाश पुत्र बालूराम

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 24.03.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

कार्यालय नगरपालिका परिषद खरगोन जिला, खरगोन म.प्र.

निविदा सूचना क्रमांक/14/ MCK/3883 /ई-टेंडर / 2026 खरगोन, दिनांक : 18/03/2026

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा समस्त पंजीकृत ठेकेदारों / व्यक्तियों / फर्म को सूचित किया जाता है कि, नगर पालिका खरगोन सीमा क्षेत्रान्तर्गत इलेक्ट्रीक विज्ञापन हेतु (मय निर्माण, स्थापना) के अस्थाई रूप से 1 वर्ष अवधि हेतु ठेके पर पर दिया जाना है। इस हेतु लम्पसम दर पर ऑनलाईन निविदा दरें आमंत्रित की जाती है, उल्लेखीत कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

अ. क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_ 493269_1 Dt.-23/03/2026	1) नगर के मुख्य मार्गो के मध्य स्थित डिवाईडर पोल पर इलेक्ट्रानिक विज्ञापन बोर्ड मय समस्त सामग्री, स्थापना, संचालन एवं संधारण हेतु । (जमीन से ऊंचाई 3.50 मीटर, बोर्ड की चौडाई 0.60 मी. एवं लंबाई 0.90 मी.) 2) नगर के अन्य चयनित स्थानों पर केन्टिलिवर टाईप इलेक्ट्रानिक सूचना एवं विज्ञापन बोर्ड मय समस्त सामग्री, स्थापना, संचालन एवं संधारण हेतु (जमीन से ऊंचाई 4.50 मीटर, बोर्ड की चौडाई 3.00मी एवं लंबाई 4.50 मी.) 3) नगर के अन्य चयनित स्थानों पर युनिपोल एवं लालीपाप टाईप इलेक्ट्रानिक सूचना एवं विज्ञापन बोर्ड मय समस्त सामग्री, स्थापना, संचालन एवं संधारण हेतु (जमीन से ऊंचाई 4.50 मीटर, बोर्ड की चौड़ाई 6.00 मी. एवं लंबाई 3.00 मी.) 4) उपरोक्त के अतिरिक्त निकाय द्वारा चयनित स्थानों पर होडिंग बोर्ड स्थापना, संचालन, संधारण आदि।	01 वर्ष लागत 5868000/-	10000/- 44010/-	21/04/2026 5.30 PM

नोट- 1) निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https:Ñ//mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा । 2) निविदादाता को म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मिडिया 2017 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन शुल्क रू. 10,000/- भुगतान कर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है । उक्त भुगतान डी.डी. के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।

(छाया जोशी)	(भोलू कर्मा)	(श्रीमती गंगा राठौर)	(कमला कोल)
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सभापति,	मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, खरगोन	नगर पालिका परिषद, खरगोन	राजस्व, लेखा एवं वित्त समिति नगर पालिका परिषद, खरगोन	नगर पालिका परिषद, खरगोन